न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–12 / 2025
GCMS NO:- 2025/100

दायर दिनांकः 01.5.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रहलाद आ. बजरंगा जाति मीणा नि. रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ (कुल 2)।

– प्रार्थीगण

बनाम

रामनिवास आ0 श्रवण जाति मीणा नि0 रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 25)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रघुनाथगंज प0म0 बालापुरा तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 148 रकबा 1.1973 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 149 रकबा 0.5906 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 159 रकबा 1.3268 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की भूमि है।

यह कि उक्त भूमि पर आने जाने व कृषि संसोधनों को लाने ले जाने के लिए एकमात्र रास्ता ग्राम रघुनाथगंज से आम सडक समीधी, बामनगांव आने जाने वाले डामर रोड के उत्तरी और फटकर खसरा नम्बर 237 की पाल पर होकर खसरा नम्बर 154, 156 के बीच की मेर पर होकर खसरा नम्बर 159 मे होकर खसरा नम्बर 149 मे होकर उत्तरी ओर 148 मे पहुंचता है। उक्त रास्ते को लाल स्याही से परिशिष्ट अ मे दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने व कृषि उपकरणों को लाने ले जाने का कोई रास्ता नही है तथा उक्त रास्ते के लिए प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 148, 149, 159 मे जाने के लिए रास्ता चाहा है, मे से खसरा नम्बर 149 एवं 159 शामलाती खाते की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना संभव अथवा न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ